न्यायालय नायब तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज0)

मु.नं. 17/2018

सरकार बनाम श्री : रामकेश पुत्र किशोरी

जाति मीना

निवासी सायपुर

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

निर्णय दिनांकः 11/09/18

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण वृतान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act 1956 इस आशय की पेश की गई कि अतिक्रमी श्री रामकेश पुत्र श्री किशोरी जाति मीना निवासी सायपुर तहसील महवा ने संवत 2075 फसल रवि/ खरीफ मे ग्राम सायपुर की राजकीय आराजी खसरा नं. 398/2 रकबा 0.62 किस्म चारागाह भूमि से 9m2 रकबा पर अनाधिकृत रूप से छप्पर कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहा है अतः अतिक्रमी के प्रति एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.50 का 50 गुना 25रु. राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसूली हेतु पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक को बेदखली / फसल नीलामी हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रजिस्टर मा/म के पेज नं0 53 पर
वर्ष 2018-19 में पेनल्टी/फसल नीलामी
की राशि तादादी रुपये 25/- पैसे....
की जमा कायमी की गई।
दिनांक
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील–महवा

नायब तहसीलदार
महवा (दौसा)

नायब तहसीलदार

तहसील महवा जिला दौसा